



2026:AHC:31018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5369/2026**

लाल सहाययाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्यविपक्षीगण

याची के अधिवक्ता: अरविंद कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रतिवादी संख्या 2 को केस संख्या 410/2013, कंप्यूटरीकृत केस संख्या T2013053131767 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार सख्ती से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः एक वर्ष की अवधि के भीतर तय करे, लेकिन बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"